

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 18, मंगलवार, श॥के 1947- दिसम्बर 09, 2025 Agrahayana 18, Tuesday, Saka 1947- December 09, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2025

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)}

संख्या प.1(18)नविवि/ भरतपुर /2025 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भरतपुर शहर की योजना घना पक्षी अभियारण के प्रवेश गेट के पास प्लाजा भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2025 को जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार उक्त वर्णित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(51)Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया गया था।

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के स्थान पर भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।